रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73 REGISTERED No. D. (D.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 32] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 7, 1976/श्रावण 16, 1898
No. 32] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 7, 1976/SRAVANA 16, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गये साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 1976

सा०का०नि० 1156.—भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) के प्रथम परन्तुक उप-नियम (1) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार तमिलनाडु सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग के पदों की संख्या का नियतन) विनियम, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग के पदों की संख्या का नियतन सोलहवां) संशोधन विनियम, 1976 है।

   (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1955 की अनुसूची में "तमिलनाडु" शीर्षक के अधीन "विशेष सचिव" प्रविष्टि के स्थान पर "आयुक्त और सचिव" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए।

[संख्या 11031/22/76-अ०भा०से०(II)-क]

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi, the 20th July, 1976

G.S.R. 1156.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (1), and the first proviso to sub-rule (2), of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Tamil Nadu hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Sixteenth Amendment Regulations, 1976.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955 for the entry 'Special Secretaries' occuring against "Tamil Nadu", the entry "Commissioner and Secretary to Government" shall be substituted.

[No. 11031/22/76-AIS(II)A]

Extended to...............

Ditto
Ditto
Ditto
Ditto
Ditto
Ditto
Ditto
Ditto
Ditto

Endorsement for change of Tindal

FORM B
(See rule 10)

Register showing the names, ages, places of residence and Signature/Thumb impression of Tindals employed in the Port of New Mangalore for the year 19..........

Sl. No.	Date of Registry	Number of Harbour craft	Name	Age		
				Years	Months	Days
1	2	3	4	5	6	7

Place of Residence	Signature/Thumb impression (in case of illiterate)	Remarks
8	9	10

[File No. PGL-9/74]

सा०का०नि० 1170:—केन्द्रीय सरकार भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 35 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 122(अ), तारीख 12 मार्च, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, स्थानान्तर-प्रभारों से संबंधित खण्ड 3 में, टिप्पण (2) के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(3) विदेशी जलयानों द्वारा, ऊपर विनिर्दिष्ट दरों पर 57.5% का अधिभार भी संदेय होगा।"

[फा० सं० पी०जी० आर०-14/74]

वी० द्वारकावास, अवर सचिव

G.S.R. 1170.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 35 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 122(E), dated the 12th March, 1976, namely :—

In the Schedule to the said notification, in clause 3 relating to the shifting charges, after Note (2), the following Note shall be inserted, namely :—

"(3) A surcharge of 57.5 per cent on the rates specified above shall be payable in addition, by foreign vessels."

[File No. PGR-14/74]

V. DWARAKAVAS, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 1976

सा० का० नि० 1171:—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, आकाशवाणी (श्रेणी-1 पद) भर्ती नियमावली, 1963 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी (श्रेणी-1 पद) भर्ती (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1976 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (श्रेणी–1 पद) भर्ती नियमावली, 1963 की अनुसूची में, क्रम संख्या 23 और इससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

1 2	3	4	5	6	7	8
"24. उप निदेशक (सुरक्षा)	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप-क, राजपत्रित	700-40-900-द० रो०-40-1100-50-1300 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	2 वर्ष	पुर्ननियुक्ति द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा।	पुर्ननियुक्ति : सेना के कप्तान के दर्जे के भूतपूर्व आपात कमीशन प्राप्त अधिकारी/अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी/रक्षा सेवाओं के सेवा निवृत्त अधिकारी या समकक्ष दर्जे के अधिकारी। (सिविल पदों के संदर्भ में अधिवार्षिकी आयु हो जाने तक पुनर्नियुक्ति)। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : (1) पुलिस उप अधीक्षक के दर्जे के वे अधिकारी जिनकी इस ग्रेड में 2 वर्ष की सेवा हो, या (2) केन्द्रीय/राज्य सरकारों के पुलिस संगठनों के पुलिस निरीक्षक के दर्जे के वे अधिकारी जिनकी इस ग्रेड में 8 वर्ष की सेवा हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	लागू नहीं होता	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अंतर्गत अपेक्षित है।"

[सं० 1/1/73-बी(ए)
मोहन लाल टंडन, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 19th July, 1976

G.S.R. 1171.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class I Posts) Recruitment Rules, 1963., namely:—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class I Posts) Recruitment (Fourth Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Class I Posts) Recruitment Rules, 1963, after serial No. 23 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be susbstituted, namely:—

1 2	3	4	5	6	7	8
"24. Deputy Director (Security)	1	General Central Service Group 'A' Gazetted.	Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300	Not applicable	Not applicable	Not applicable

9	10	11	12	13	14
Not applicable	2 years	By re-employment or by transfer on deputation	Re-employment : Ex-Emergency Commissioned Officers/Short Service Commissioned Officers/Retired Defence Services Officers of the rank of Captain in the army or equivalent (Re-employment upto the age of superannuation with reference to civil posts). Transfer on deputation : Officers of the rank of (i) Deputy Superintendent of Police with two years' service in the grade, or (ii) Inspector of Police with 8 years' of service in the grade from Central/State Government Police Organisations. (Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years).	Not applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958."

[No. 1/1/73-B(A)]

M. L. TANDON, Under Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 1976

सा०का०नि० 1172.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भूमि और विकास कार्यालय (वर्ग 3 और 4 पद) भर्ती नियम, 1969 में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भूमि और विकास कार्यालय (वर्ग 3 और 4 पद) भर्ती (दूसरा संशोधन) नियम, 1976 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को, प्रवृत्त होंगे ।

2. भूमि और विकास कार्यालय (वर्ग 3 और 4 पद) भर्ती नियम, 1969 की अनुसूची में, क्रम संख्या 1, 2, 3, 6, 7 और 8 के सामने स्तम्भ 13 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात् :—

"विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन—

1. भूमि और विकास अधिकारी—अध्यक्ष
2. अवर सचिव (भूमि और विकास कार्यालय के स्थापन सम्बन्ध विषयों का भारसाधक)—सदस्य
3. अवर सचिव (आवासन-1)—सदस्य
4. भूमि और विकास कार्यालय में विशेष कार्य अधिकारी—सदस्य
5. उप-भूमि और विकास अधिकारी—सदस्य/सचिव ।"

[संख्या 10/76/68-एल०-II(वाल-II)]

एच० आर० निगम, अवर सचिव

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 20th July, 1976

G.S.R. 1172.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Land and Development Office (Class III and IV posts) Recruitment Rules, 1969 namely :—

1. (1) These rules may be called the Land and Development Office (Class III and IV posts) Recruitment (Second Amendment) Rules 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Land and Development Office (Class III and IV posts) Recruitment Rules 1969, against serial numbers 1, 2, 3, 6, 7 and 8, in column 13, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Composition of Departmental Promotion Committee—

1. Land and Development Officer—Chairman.
2. Under Secretary (Incharge of Establishment matters of Land and Development Office)—Member.
3. Under Secretary (Housing-I)—Member.
4. Officer on Special Duty in the Land and Development Office—Member.
5. Deputy Land and Development Officer—Member/Secretary".

[No. 10(76)/68-LII (Vol. II)]

H. R. NIGAM, Under Secy.

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

(पूर्ति विभाग)

नई दिल्ली, 9 जून, 1976

सा० का० नि० 1173.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, एतद्द्वारा मुख्य वेतन